

न्यायालय कॉमर्शियल कोर्ट संख्या-2, आगरा

इजराय वाद संख्या-26/2025

मै० लक्ष्मी इंजीनियर्स

बनाम

भारत संचार निगम लिमिटेड

20.07.2026

आज पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। निर्णीत ऋणी अनुपस्थित है। डिक्रीधारक की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। उनके द्वारा आदेश फलक पर वाद पर बल न देने तथा वाद वापस लेने का पृष्ठांकन किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

चूँकि डिक्रीधारक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आदेश फलक पर वाद पर बल न देने तथा वाद वापस लिये जाने का पृष्ठांकन किया गया है। इसलिए प्रस्तुत वाद में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है। अतः डिक्रीधारक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आदेश फलक पर किये गये पृष्ठांकन के आधार पर प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

Sd/-

पीठासीन अधिकारी

कॉमर्शियल कोर्ट सं0-02, आगरा